बिहार सरकार

# मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना

बेटी मेरी शक्ति

महिला विकास निगम, बिहार
समाज कल्याण विभाग

महिला विकास निगम, बिहार द्वारा जनहित में प्रकाशित

# मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना

कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, लिंग अनुपात में वृद्धि लाने, जन्म निबंधन तथा बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ''मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना'' वर्ष 2008 में आरंभ की गयी है। योजना बिहार के सभी 544 समेकित बाल विकास परियोजना के माध्यम से महिला विकास निगम, बिहार (समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

## योजना के लाभार्थी

(क) योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के कन्या संतान को देय होगा।

(ख) योजना का लाभ 22.11.2007 के पश्चात जन्म लेने वाली बच्चियों को देय होगा।

(ग) योजना का लाभ बी.पी.एल. परिवार की मात्र दो कन्या संतानों को ही देय होगा।

## अनुदान का स्वरूप

योजना के तहत लाभुक कन्या के नाम से रू. 2000/– (रूपये दो हजार मात्र) की एक मुश्त राशि अनुदान के रूप में बैंकों के माध्यम से निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा तथा कन्या के नाम से एक बचत खाता खोलकर पासबुक भी उपलब्ध कराया जाएगा।

## परिपक्वता राशि का भुगतान

लाभुक कन्या के 18 वर्ष की उम्र पूरा होने के पश्चात् लाभार्थी द्वारा प्रमाण पत्र एवं पासबुक के साथ दावा किया जायेगा। दावा करने के बाद परिपक्वता राशि लाभुक के बैंक खाता में स्वतः हस्तांतरित हो जाएगी।

## पात्रता

(क) इस योजना का लाभ सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को देय होगा।

(ख) जन्म का विधिवत निबंधन जन्म के 1 वर्ष के अन्दर कराया गया हो।

(ग) इस योजना के लाभार्थी की आयु सीमा 0 से 3 वर्ष होनी चाहिए। (अर्थात् लाभार्थी के जन्म से लेकर तीन वर्ष की आयु प्राप्त होने तक आवेदन कर सकेंगे।)

## आवेदन की प्रक्रिया

(क) इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन पत्र बाल विकास परियोजना के सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध रहेगा।

(ख) आँगनबाड़ी सेविका लाभुकों को निःशुल्क आवेदन पत्र उपलब्ध करायेंगी।

(ग) इस योजना के लाभ हेतु आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में भर कर संबंधित आँगनबाड़ी सेविका को देना होगा।

(घ) बाल विकास परियोजना पदाधिकारी इस हेतु स्वीकृति पदाधिकारी होंगे।

(ङ) स्वीकृति पदाधिकारी क्रमवार आवदेन पत्र को पंजीकृत करेंगे।

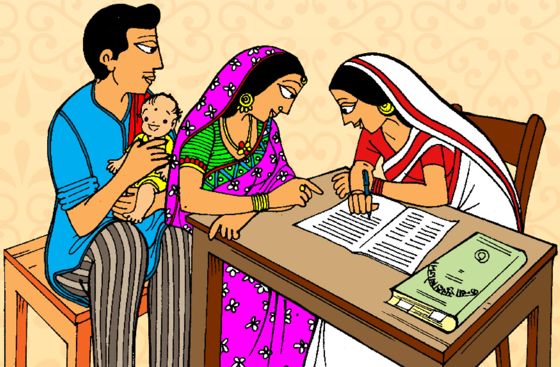

## आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजात

(क) जन्म निबंधन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।

(ख) गरीबी रेखा के नीचे होने के प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।

(ग) माता/पिता के पहचान पत्र की छायाप्रति।

(घ) इस आशय की घोषणा कि सूचना गलत पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। (विहित आवेदन प्रपत्र में)

## जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्रक्रिया

जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन जन्म के 21 दिनों के अंदर करें। इस अवधि में जन्म प्रमाण पत्र हेतु कोई शुल्क नही लगता है।

जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए शहरी क्षेत्र के निवासी नगर निगम के कार्यालय और ग्रामीण क्षेत्र के निवासी आँगनबाड़ी सेविका अथवा पंचायत सचिव से संपर्क कर 21 दिन से कम उम्र के बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।

21 दिनों के बाद आवेदन प्रस्तुत करने पर विलंब शुल्क दे कर अन्य प्राधिकार से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

Conceptualized, Designed & Printed by:
punament@gmail.com

महिला विकास निगम, बिहार
समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार
दूसरी मंजिल, इंदिरा भवन, आर. सी. सिंह पथ, बेली रोड, पटना–800 001 (बिहार)
दूरभाष : 0612–2534 096, 2520 695, 2537 843, वेबसाईट : . dcbihar.org